# भारत सरकार
# रेल मंत्रालय
# रेल भर्ती बोर्ड

सत्यमेव जयते

भारतीय रेल

**एनटीपीसी सीबीटी-1 परिणामों पर रेलवे का स्पष्टीकरण।**

आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019 (गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए (स्नातक और पूर्वस्नातक)) के अंतर्गत चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पर कुछ अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसके परिणाम दिनांक 14.01.2022 को घोषित किए गए।

इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पहले ही दिनांक 28.02.2019 को प्रकाशित मूल अधिसूचना के पैरा 13 अर्थात सीईएन 01/2019 के तहत विस्तृत रूप से दी गई थी।

इस रोजगार अधिसूचना में तेरह श्रेणियों को विज्ञापित किया गया था जो स्नातकों के लिए खुली थीं और इनमें से छह पूर्वस्नातको के लिए थीं। इन तेरह श्रेणियों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग वेतनमान स्तरों (अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 और 6) के आधार पर पांच समूहों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरण-वार प्रक्रिया पहले ही सीईएन के पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है। प्रत्येक अभ्यर्थी पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी या इन तेरह श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था।

यद्यपि प्रथम चरण सीबीटी सभी अभ्यर्थियों के लिए एक सामान्य परीक्षा थी, अधिसूचना के पैरा 13.2 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दूसरे चरण सीबीटी में, प्रत्येक समूह (अर्थात, स्तर 2, 3, 4, 5 और 6) के लिए अलग-अलग ग्रेड स्तर की कठिनाई के साथ एक अलग परीक्षा होगी। तदनुसार, समान स्तर के अंतर्गत आने वाले सभी पदों में एक समान चरण सीबीटी होगा।

इसलिए, यदि कोई अभ्यर्थी पात्र है और उसने एक से अधिक स्तरों (शैक्षिक योग्यता के अनुसार) का विकल्प चुना है, उसे प्रत्येक स्तर के लिए दूसरे चरण की सीबीटी में शामिल होना होगा, जैसा कि पैरा 13.6 में दिया गया है, क्योंकि पदों के प्रत्येक समूह के लिए मानक (कठिनाई स्तर) अलग होगा (अर्थात स्नातक या पूर्वस्नातक स्तर का)।

अभ्यर्थियों के ध्यान में यह भी लाया जाता है कि प्रावधानों के अनुसार, एनटीपीसी द्वितीय चरण परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत रिक्तियों की संख्या का केवल 10 गुना है। अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए सीईएन-01/2019 में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना बुलाने की संख्या को रिक्तियों की संख्या से 20 गुना तक बढ़ा दिया गया था, जब सभी स्तरों पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि मेधावी अभ्यर्थी अवसर से वंचित न रह जाये। इसलिए, दूसरे चरण के सीबीटी के लिए उचित संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल करने के लिए, शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को प्रथम चरण सीबीटी सह पदों की वरीयता में उनकी योग्यता के आधार पर अधिसूचित पदों की समुदाय-वार रिक्तियों के बीस गुना पर रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, जबकि एक पात्र अभ्यर्थी को अपनी पात्रता और विकल्प के अनुसार प्रत्येक अलग से संबंधित द्वितीय चरण सीबीटी के लिए उपस्थित होना होगा, उसका चयन किया जाएगा और अंतिम नियुक्ति केवल एक पद के लिए होगी। अतः किसी पात्र अभ्यर्थी को चयन से वंचित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड

दिनांक: 15.01.2022